।।कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,(प्रा0शि0),रुद्रप्रयाग।।

आदेश संख्या–प्रा0शि0अनु0–4/मान्यता/ 23 /आर0टी0ई0/2017–18,दिनांक 23 अक्टूबर 2017

मान्यता

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निशुल्क एवं अनिवार्यबाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली– 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता हेतु निम्नांकित विद्यालयो के प्रबन्धकों/व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व उसके कम में किये गये पत्राचार तथा दिनांक 23–09–2017, को मान्यता समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के पश्चात् स्थलीय निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि निम्न विद्यालयों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत मानक पूर्ण किये गये हैं। अतः अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण तथा प्रबन्धकों / व्यवस्थापकों द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध के कम में निम्नांकित विद्यालयों को संचालन हेतु पांच वर्ष तथा तीन वर्ष की अवधि के लिये अस्थाई मान्यता स्वीकृत/प्रदान की जाती है।

क्र0 स0	विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	कक्षा जिसके संचालन की अनुमति है	शिक्षण का माध्यम	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06
1	क्राइस्ट मिशन एकेडमी,गैठाणा	जखोली	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अंग्रेजी	पांच वर्षो हेतु
2	कुसमाण्डा चि0आ0,कुमड़ी जखोली	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	पांच वर्षो हेतु
3	श्री रणजीत गौरव मा0ए0,स्कूल,रायड़ी	जखोली	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अंग्रेजी	पांच वर्षो हेतु
4	[illegible] चि0एके0,सांकला	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी/अंग्रेजी	पांच वर्षो हेतु
5	केदार वैली चि0 ऐके0,सुगाड़ी	जखोली	कक्षा 1 से 8 तक	अंग्रेजी	पांच वर्षो हेतु
6	गौरी मेमो0प0स्कूल,रायड़ी	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी/अंग्रेजी	पांच वर्षो हेतु
7	स0शि0स0 पौठी	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु
8	[illegible]नराइज पब्लिक स्कूल त्यूखर	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी/अंग्रेजी	तीन वर्षो हेतु
9	कालीमाई नारायणन चि0 एकेडमी, कालीमठ	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी/अंग्रेजी	तीन वर्षो हेतु
10	बा0जू0हा0स्कू0 तिमली(बड़मा)	जखोली	कक्षा 6 से आठ तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु
11	नागराजा चिल्ड्रन ए0, तैला	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

12	स0शि0म0,जवाड़ी	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु
13	स0शि0म0 तिमली बड़मा	जखोली	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	तीन वर्षो हेतु
14	ब्राइटलेण्ड इन्टरनेशनल स्कूल,चन्द्रापुरी	अगस्त्यमुनि	कक्षा 1 से 8 तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु
15	बी0डी0 पब्लिक स्कूल, चोपता	अगस्त्यमुनि	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु
16	सरस्वती बाल विद्या मन्दिर, भीरी	अगस्त्यमुनि	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	हिन्दी	पांच वर्षो हेतु
17	रा0इ0रा0ऐ0,जवाहरनगर,अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु
18	जाखेश्वर स0शि0,गडगू	अगस्त्यमुनि	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	पांच वर्षो हेतु
19	मा0हेरी0प0स्कूल शेरसी बड़ासू	अगस्त्यमुनि	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु
20	एवरग्रीन,ऐजू0सोसा0,उखीमठ	उखीमठ	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु
21	श्री तुगेश्वर,चि0ऐ0,मक्कूमठ	उखीमठ	पूर्व प्राथमिक से पांच तक	हिन्दी	पांच वर्षो हेतु
22	एम0एल0प0स्कूल,नाला,गुप्तकाशी	उखीमठ	पूर्व प्राथमिक से आठ तक	अग्रेंजी	पांच वर्षो हेतु

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन में अधीन होगी।

1– मान्यता किसी भी परिस्थिति में उपरिलिखित स्तंभ–4 की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।

2– विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम,2009 तथा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित होगा।

3– विद्यालय अपनी कक्षा–1 मे बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अप पड़ोस ककमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हे निशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शि उसकी पूर्णता तकप्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक काअनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

4– उपरोक्त क्रम सं0–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा व अधिकारअधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक मे निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाऐगी प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता संचालित करेगा।

5– संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नही किया जाएग तथा कसी भी बच्चें की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिमावक को साक्षात्कार नही किया जाऐगा।

6– विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथ धर्म,जाति जन्म, आदि कारणो से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नही करेगा।

7–विद्यालय के द्वारा कार्य सुनिश्चित किए जाऐगे।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner